

हिमाचल प्रदेश सरकार
पंचायती राज विभाग।

संख्या: पीसीएच-एचए(1)2/2019- विभाजन/पुर्नगठन: -60178-186 18 अगस्त, 2020

अधिसूचना

इस विभाग की अधिसूचना संख्या पीसीएच-एचए(1)2/2019- विभाजन/पुर्नगठन-55565-572 दिनांक 28.08.2020 के अन्तर्गत जिला शिमला में ग्राम सभा क्षेत्रों को विभाजित, पुर्नगठित और नए ग्राम सभा क्षेत्रों को गठित करने तथा ग्राम सभा क्षेत्रों की स्थापना हेतु प्रस्तावना द्वारा सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों से आक्षेप एवं सुझाव आमन्त्रित किए गए थे तथा उपायुक्त शिमला को इस सम्बन्धित में आक्षेप/सुझाव प्राप्त करने और उन पर विचार करने के उपरान्त अन्तिम सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया था।

उपरोक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेपों एवं सुझावों पर उपायुक्त जिला कांगडा की सिफारिशों के दृष्टिगत, इस विभाग द्वारा जिला कांगडा के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन, पुर्नगठन और नए ग्राम सभा क्षेत्रों की स्थापना से सम्बन्धित पूर्व में जारी अधिसूचनाओं के आंशिक संशोधन में, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्याक 4) की धारा 3 की उप-धाराओं (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जिला कांगडा के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों को विभाजित, पुर्नगठित कर उनके लिए, उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के प्रयोजन हेतु निम्न प्रकार से ग्राम सभा क्षेत्रों की स्थापना का सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं।

राज्यपाल हिमाचल प्रदेश, उपरोक्त अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (2-क) तथा धारा (3-क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत यह आदेश भी प्रदान करते हैं कि इस अधिसूचना के अन्तर्गत ग्राम सभा क्षेत्रों का विभाजन और पुर्नगठन विद्यमान पंचायतों के निर्वाचित पदाधिकारियों की पदावधि को प्रभावित नहीं करेगा।

क0 सं0	वर्तमान ग्राम सभा का नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	नई ग्राम सभा तथा उसके मुख्यालय का नाम	कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम	कोष्ठ संख्या 3 में वर्णित ग्राम सभा में बचे शेष ग्रामों के नाम	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
1	विकास खण्ड ठियोग:					
	1 कुठार	1 उपमहाल बावर	पुन्दर स्थित चनौत	1 उपमहाल बावर	1 नोली	
		2 देवठी		2 देवठी	2 कुठार	
		3 किशौर		3 किशौर	3 उपमहाल शाय	
		4 पुन्दर		4 पुन्दर	4 बनेहा	
		5 घलाना		5 घलाना	5 बाला	

		6 नोली			
		7 कुठार			
		8 उपमहाल शाय			
		9 बनेहा			
		10 बाला			
2	विकास खण्ड चौपाल:				
	1 नेरुवा	1 खान्ती	गढा	1 खान्ती	1 बागना
		2 बावडा		2 बजाथल	2 गुन्सा
		3 बजाथल		3 बावडा	3 दलेवना
		4 गढा		4 कौथाली	4 काउ
		5 बागना		5 गढा	5 ठेकरा
		6 गुन्सा			6 धारदुआ
		7 दलेवना			7 नेरुवा
		8 काउ			8 थाचली
		9 ठेकरा			9 सोयल
		10 धारदुआ			10 धनसारी
		11 नेरुवा			11 कलात
		12 थाचली			12 दियालडी
		13 सोयल			13 गई
		14 धनसारी			14 रिजट
		15 कलात			15 दाडू
		16 दियालडी			
		17 गई			
		18 रिजट			
		19 दाडू			
		20 कौथाली			
3	विकास खण्ड जुब्बल कोटखाई:				
	1 हिमरी	1 हिमरी	ग्राम सभा	1 भडैच	1 हिमरी
		2 पाली	घूंडा, मुख्या	2 घूंडा	2 पाली
		3 कडहैल	वास का		3 कडहैल
		4 थरमला	नाम भडैच		4 थरमला
		5 झंगरोली			5 झंगरोली
		6 भडैच			
		7 घूंडा			

आदेश द्वारा
सचिव (पंचायती राज)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृ० संख्या: उपरोक्त- 60178-186 दिनांक 18 सितम्बर, 2020
प्रतिलिपियां सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु:
1 उपायुक्त शिमला, जिला शिमला हिमाचल प्रदेश।
2 सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-2.

- 3 जिला पचांयत अधिकारी शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
- 4 समस्त सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, जिला शिमला हि0प्र0।
- 5 समस्त सम्बन्धित प्रधान/सचिव ग्राम पचांयत जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश को दो अतिरिक्त प्रतियों सहित।

संयुक्त सचिव (पचांयती राज)
हिमाचल प्रदेश सरकार।